

**मेसर्स टी. आर. एन. इनर्जी प्रा. लिमिटेड, ग्राम भेंगारी, जिला – रायगढ़ (छ.ग.) में प्रस्तावित कोल बेस्ड थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट 600 मेगावॉट (2 x 300 मेगावॉट) के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई दिनांक 14.07.2010 का कार्यवाही विवरण**

मेसर्स टी. आर. एन. इनर्जी प्रा. लिमिटेड, ग्राम भेंगारी, जिला रायगढ़ (छ.ग.) में प्रस्तावित कोल बेस्ड थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट –600 मेगावॉट (2 x 300 मेगावॉट) की स्थापना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई दिनांक 14.07.2010 स्थान शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, ग्राम नवापारा–टेण्डा का मैदान, तहसील घरघोडा, जिला रायगढ़ में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी रायगढ़, की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा प्रातः 11.10 बजे लोक सुनवाई की कार्यवाही प्रारंभ की गई। लोक सुनवायी में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, रायगढ़ अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ तथा क्षेत्रीय अधिकारी, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल रायगढ़ उपस्थित थे। लोक सुनवायी में आसपास के ग्रामवासी तथा रायगढ़ के नागरिकों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं ने भाग लिया। सर्वप्रथम क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा ई.आई.ए. नोटिफिकेशन दिनांक 14.09.06 के प्रावधानों की जानकारी दी गयी।

लोक सुनवायी में लगभग 700 लोगों का जन समुदाय एकत्रित हुआ। उपस्थिति पत्रक पर 60 लोगों ने हस्ताक्षर किये। मौखिक वक्तव्यों को लिपिबद्ध किया गया।

लोक सुनवाई उद्योग प्रतिनिधि के द्वारा परियोजना के प्रस्तुतिकरण से प्रारंभ हुई। सर्वप्रथम उद्योग की ओर से कंपनी प्रतिनिधि श्री सुखदेव तुकाराम सेल्के ने प्रस्तावित परियोजना से होने वाले प्रदूषण नियंत्रण, जल की आवश्यकता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, स्थानीय लोगों को रोजगार, सामुदायिक विकास कार्य आदि के संबंध में संक्षिप्त जानकारी दी।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा उद्योग प्रतिनिधि को जन सुनवाई के दरम्यान उठायी गई आपत्तियों, टीकाटिप्पणी को नोट करने तथा उन्हें कार्यवाही के अंत में बिन्दुवार स्पष्ट जानकारी देने का निर्देश दिया गया। इसके उपरांत उपस्थित जन समुदाय से सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणी आमंत्रित की गयी, जिस पर निम्नानुसार 388 व्यक्तियों ने अपने विचार व्यक्त किये –

सर्वश्री –

1. घनश्याम गुप्ता, नवापारा–टेण्डा – आज ग्राम नवापारा में टी. आर. एन. इनर्जी का जन सुनवाई हो रहा है। आज हमारे बंजर जमीन को खरीद कर उद्योग लगाया जा रहा है, जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा, मैं निवेदन करता हूँ कि हमारे आदिवासी भाईयों के साथ विश्वासघात न करें और कंपनी द्वारा इस क्षेत्र के विकास में सहयोग किया जाये। हमारे किसान और आदिवासियों को मित्र बनाकर प्रेम से उद्योग द्वारा इस क्षेत्र का विकास किया जाये। पॉवर प्लांट के लगने में हमारा समर्थन है। उद्योग हमारे स्थानीय लोगों को रोजगार दे। हम अपनी जनता को कोई तकलीफ हो यह बर्दाश्त नहीं करेंगे। जनता भी अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार मांगे तभी हम उनके लिये लड़ सकेंगे। जो भी लोग आज यहाँ आये हैं, वे हमारे इस आदिवासी क्षेत्र को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। उद्योग के लगने से पानी की बहुत आवश्यकता होती है, अतः हमको भी और सभी को पानी मिले ऐसी व्यवस्था हो।

2. सुभाष अग्रवाल टेण्डा-नवापारा – मैं टी. आर. एन. पॉवर इनर्जी का समर्थन करता हूँ। स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार दिया जाये, वृक्षारोपण किया जाये, शिक्षा की व्यवस्था की जाये, बिजली पानी की व्यवस्था की जाये। स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार दिया जाये।
3. आसुतोष अग्रवाल, भेंगारी – मैं टी. आर. एन. इनर्जी का समर्थन करता हूँ।
4. ठण्डाराम भोय, चारमार – मैं टी. आर. एन. इनर्जी का समर्थन करता हूँ।
5. नीलोबाई, नवापारा – मैं टी. आर. एन. इनर्जी का समर्थन करता हूँ।
6. सत्यानंद, भेंगारी – मैं टी. आर. एन. इनर्जी का समर्थन करता हूँ।
7. संतोष, भेंगारी – मैं टी. आर. एन. इनर्जी का समर्थन करता हूँ।
8. सुखवारो, खोखरोआमा – मैं कंपनी का समर्थन करती हूँ।
9. पवित्री बाई, खोखरोआमा – मैं कंपनी का समर्थन करती हूँ।
10. श्रीमती गोमती, खोखरोआमा – मैं कंपनी का समर्थन करती हूँ।
11. सुखवारों, खोखरोआमा – मैं कंपनी का समर्थन करती हूँ।
12. श्रुति, खोखरोआमा – मैं कंपनी का समर्थन करती हूँ।
13. गुरबारी, खोखरोआमा – मैं कंपनी का समर्थन करती हूँ।
14. सुखारी, खोखरोआमा – मैं कंपनी का समर्थन करती हूँ।
15. नीनोबाई, खोखरोआमा – मैं कंपनी का समर्थन करती हूँ।
16. पुसाई, खोखरोआमा – मैं कंपनी का समर्थन करती हूँ।
17. गनपति, खोखरोआमा – मैं कंपनी का समर्थन करती हूँ।
18. सुखवती, खोखरोआमा – मैं कंपनी का समर्थन करती हूँ।
19. कृनकीबाई, खोखरोआमा – मैं कंपनी का समर्थन करती हूँ।
20. तिजमती, खोखरोआमा – मैं कंपनी का समर्थन करती हूँ।
21. भिरजानो बाई, खोखरोआमा – मैं कंपनी का समर्थन करती हूँ।
22. फुलकुमारी, खोखरोआमा – मैं कंपनी का समर्थन करती हूँ।
23. बहतरीन, खोखरोआमा – मैं कंपनी का समर्थन करती हूँ।
24. विमला, बांसमुड़ा – मैं टी. आर. एन. इनर्जी का समर्थन करती हूँ।
25. मनोरंजन कुमार, भेंगारी – मैं टी. आर. एन. इनर्जी का समर्थन करता हूँ।
26. संजय, भेंगारी – मैं टी. आर. एन. इनर्जी का समर्थन करता हूँ।
27. बोधराम, भेंगारी – मैं टी. आर. एन. इनर्जी का समर्थन करता हूँ।
28. सत्येन्द्र, चारमार – मैं टी. आर. एन. इनर्जी का समर्थन करता हूँ।
29. पंचराम, भेंगारी – मैं टी. आर. एन. इनर्जी का समर्थन करता हूँ।
30. बासुदेव, भेंगारी – मैं टी. आर. एन. इनर्जी का समर्थन करता हूँ।
31. कुजीराम, भेंगारी – मैं टी. आर. एन. इनर्जी का समर्थन करता हूँ।
32. भैयाराम, भेंगारी – मैं टी. आर. एन. इनर्जी का समर्थन करता हूँ।
33. वरुण, भेंगारी – मैं टी. आर. एन. इनर्जी का समर्थन करता हूँ।
34. अंबिका, भेंगारी – मैं टी. आर. एन. इनर्जी का समर्थन करता हूँ।
35. संतराम, भेंगारी – मैं टी. आर. एन. इनर्जी का समर्थन करता हूँ।
36. पूर्णचंद, भेंगारी – मैं टी. आर. एन. इनर्जी का समर्थन करता हूँ।
37. लोकनाथ, भेंगारी – मैं टी. आर. एन. इनर्जी का समर्थन करता हूँ।
38. रुपधर, भेंगारी – मैं टी. आर. एन. इनर्जी का समर्थन करता हूँ।
39. बसंत पटेल, भेंगारी – मैं टी. आर. एन. इनर्जी का समर्थन करता हूँ। हमारे गांव में पानी की समस्या है, बोर खुदवाना चाहिए।
40. कपिल, भेंगारी – मैं टी. आर. एन. इनर्जी का समर्थन करता हूँ।

41. कपिल, भेंगारी – मैं टी. आर. एन. इनर्जी का समर्थन करता हूँ।
42. मुन्ना, भेंगारी – मैं टी. आर. एन. इनर्जी का समर्थन करता हूँ।
43. रामकुमार, टेण्डा-नवापारा – मैं टी. आर. एन. इनर्जी का समर्थन करता हूँ।
44. सौरा, बांसमुड़ा, मैं टी. आर. एन. इनर्जी का समर्थन करता हूँ।
45. टीकाराम, नवापारा – मैं टी. आर. एन. इनर्जी का समर्थन करता हूँ।
46. खेमराज, भेंगारी – मैं टी. आर. एन. इनर्जी का समर्थन करता हूँ।
47. खगेश्वर, भेंगारी – मैं टी. आर. एन. इनर्जी का समर्थन करता हूँ।
48. मनोज, भेंगारी – मैं टी. आर. एन. इनर्जी का समर्थन करता हूँ।
49. उत्तरा पटेल, भेंगारी – मैं टी. आर. एन. इनर्जी का समर्थन करता हूँ।
50. रामेश्वर महंत, भेंगारी – मैं टी. आर. एन. इनर्जी का समर्थन करता हूँ।
51. हेमंत चौहान, भेंगारी – मैं टी. आर. एन. इनर्जी का समर्थन करता हूँ।
52. तुलाराम, भेंगारी – मैं टी. आर. एन. इनर्जी का समर्थन करता हूँ।
53. बुधेश्वर, भेंगारी – मैं टी. आर. एन. इनर्जी का समर्थन करता हूँ।
54. जगदीश, भेंगारी – मैं टी. आर. एन. इनर्जी का समर्थन करता हूँ।
55. जयराम, गुप्ता, भेंगारी – मैं टी. आर. एन. इनर्जी का समर्थन करता हूँ।
56. केश्वर जायसवाल, खोखरोआमा – गांव में पानी की समस्या हो रही है। पानी की व्यवस्था की जाये। मैं टी. आर. एन. इनर्जी का समर्थन करता हूँ।
57. आशाराम, खोखरोआमा – मैं टी. आर. एन. इनर्जी का समर्थन करता हूँ।
58. बंधनसिंग, खोखरोआमा – मैं टी. आर. एन. इनर्जी का समर्थन करता हूँ।
59. रुपसाय, खोखरोआमा – मैं टी. आर. एन. इनर्जी का समर्थन करता हूँ।
60. रमेश राठिया, भेंगारी – मैं टी. आर. एन. इनर्जी का समर्थन करता हूँ।
61. तुलसीराम, नवापारा – मैं टी. आर. एन. इनर्जी का समर्थन करता हूँ।
62. विनोद गुप्ता, भेंगारी – मैं टी. आर. एन. इनर्जी का समर्थन करता हूँ।
63. दशरथ यादव, भेंगारी – मैं टी. आर. एन. इनर्जी का समर्थन करता हूँ।
64. नरेश महंत, घरघोड़ा – क्षेत्र का विकास चाहिए अतः मैं टी. आर. एन. इनर्जी का समर्थन करता हूँ।
65. गोपेश सिंह, घरघोड़ा – मैं टी. आर. एन. इनर्जी का समर्थन करता हूँ।
66. उदय राम, टेण्डा-नवापारा – मैं टी. आर. एन. इनर्जी का समर्थन करता हूँ।
67. गोविंद चौहान, घरघोड़ा – क्षेत्र का विकास चाहिए इसलिये मैं टी. आर. एन. इनर्जी का समर्थन करता हूँ।
68. लम्बोदर चौहान, घरघोड़ी – मैं टी. आर. एन. इनर्जी का समर्थन करता हूँ।
69. मनोज महंत, घरघोड़ा – मैं टी. आर. एन. इनर्जी का समर्थन करता हूँ।
70. विमल श्रीवास, घरघोड़ा – मैं टी. आर. एन. इनर्जी का समर्थन करता हूँ।
71. संजय सिदार, लिबरा – मैं टी. आर. एन. इनर्जी का समर्थन करता हूँ।
72. धन्नूलाल, लिबरा – मैं टी. आर. एन. इनर्जी का समर्थन करता हूँ।
73. सत्ता सिंग, लिबरा – मैं टी. आर. एन. इनर्जी का समर्थन करता हूँ।
74. हरिहर दास, लिबरा – मैं टी. आर. एन. इनर्जी का समर्थन करता हूँ।
75. आसुतोष, लिबरा – मैं टी. आर. एन. इनर्जी का समर्थन करता हूँ।
76. नंदलाल, लिबरा – मैं टी. आर. एन. इनर्जी का समर्थन करता हूँ।
77. धर्मदयाल, घरघोड़ा – मैं टी. आर. एन. इनर्जी का समर्थन करता हूँ।
78. भगतसिंह, घरघोड़ा – मैं टी. आर. एन. इनर्जी का समर्थन करता हूँ।
79. जगताराम, घरघोड़ा – मैं टी. आर. एन. इनर्जी का समर्थन करता हूँ।

80. ओमप्रकाश, घरघोड़ – उद्योग के लगने से विकास होता है, टी. आर. एन. इनर्जी के द्वारा इस क्षेत्र में 600 मेगावॉट पॉवर प्लांट लगाया जा रहा है, जिससे इस क्षेत्र का विकास होगा अतः मैं टी. आर. एन. इनर्जी का समर्थन करता हूँ।
81. गोपाल, घरघोड़ी – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
82. यज्ञचरण पैकरा, घरघोड़ा – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
83. महावीर, साल्हेओना – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
84. घुरऊ राम, साल्हेओना – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
85. जयराम चौहान, साल्हेओना – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
86. विवेक बेहरा, साल्हेओना – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
87. विमल बेहरा, साल्हेओना – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
88. राजू महंत, साल्हेओना – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
89. नंदकुमार, खोखरोआमा – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
90. जोगीराम, खोखरोआमा – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
91. पुनीराम, खोखरोआमा – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
92. धनीराम, खोखरोआमा – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
93. रामसाय, खोखरोआमा – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
94. राजू सिदार, घरघोड़ा – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
95. विजय मरार, घरघोड़ा – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
96. नरेश राठिया, बस्तीपाली – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
97. जगदीश राठिया, बस्तीपाली – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
98. ऋषीकेश गुप्ता, चारमार – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
99. नेहरुलाल, भेंगारी – हमारे गांव में पानी की समस्या है, कंपनी उसको दूर करे, अतः मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
100. सूरजमणि, नवापारा – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
101. श्याम महंत, नवापारा – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
102. सुशील, नवापारा – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
103. बैदहिन, नवापारा – मैं कंपनी का समर्थन करती हूँ।
104. धमनी, लोटान – मैं कंपनी का समर्थन करती हूँ।
105. सुकलोचन, भेंगारी – मैं कंपनी का समर्थन करती हूँ।
106. दामोदर, भेंगारी – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
107. बशाराम पटेल, भेंगारी – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
108. संतराम, खोखरोआमा – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
109. ईतवारी धनवार, भेंगारी – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
110. ताराचंद गुप्ता, पंच, भेंगारी – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ। गांव में पानी का समस्या है, कंपनी उसका उपाय करे।
111. सूरजसिंह ठाकुर, नवागढ़ – मैं टी. आर. एन. इनर्जी का समर्थन करता हूँ।
112. अमरीश, छोटेगुमड़ा – मैं टी. आर. एन. इनर्जी का समर्थन करता हूँ।
113. मुकुटराम, – स्थानीय लोगों को रोजगार मिले तथा पर्यावरण पर कंपनी ध्यान दे। ग्रामवासियों को किसी तरह का तकलीफ न हो। मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
114. अवधेश कुमार गुप्ता – मैं टी. आर. एन. इनर्जी का समर्थन करता हूँ।
115. भोयलाल गुप्ता, नवापारा – मैं टी. आर. एन. इनर्जी का समर्थन करता हूँ।
116. फागूलाल, नवापारा – मैं टी. आर. एन. इनर्जी का समर्थन करता हूँ।
117. तुलेश्वर, नवापारा – मैं टी. आर. एन. इनर्जी का समर्थन करता हूँ।

118. सुरेश गुप्ता, नवापारा – मैं टी. आर. एन. इनर्जी का समर्थन करता हूँ।
119. उमाकांत, नवापारा – मैं टी. आर. एन. इनर्जी का समर्थन करता हूँ।
120. रत्थुलाल, नवापारा – मैं टी. आर. एन. इनर्जी का समर्थन करता हूँ।
121. तरुण गुप्ता, नवापारा – मैं टी. आर. एन. इनर्जी का समर्थन करता हूँ।
122. प्यारेलाल, नवापारा – मैं टी. आर. एन. इनर्जी का समर्थन करता हूँ।
123. मुरलीधर गुप्ता, नवापारा – मैं टी. आर. एन. इनर्जी का समर्थन करता हूँ।
124. गोविंद गुप्ता, छोटेगुमड़ा – हमारे गांव में प्लांट लगे लेकिन स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। मैं टी. आर. एन. इनर्जी का समर्थन करता हूँ।
125. लक्ष्मीकांत, नवापारा – मैं टी. आर. एन. इनर्जी का समर्थन करता हूँ।
126. हरेशम, नवापारा – मैं टी. आर. एन. इनर्जी का समर्थन करता हूँ।
127. महेन्द्र गुप्ता, नवापारा – गांव के लोगों को रोजगार मिले। मैं टी. आर. एन. इनर्जी का समर्थन करता हूँ।
128. रमेश कुमार, नवापारा – मैं टी. आर. एन. इनर्जी का समर्थन करता हूँ।
129. त्रिलोचन गुप्ता – मैं टी. आर. एन. इनर्जी का समर्थन करता हूँ।
130. जगदीश गुप्ता, नवापारा – मैं टी. आर. एन. इनर्जी का समर्थन करता हूँ।
131. मालिक राम, भेंगारी – कंपनी के लगने से क्षेत्र का विकास होगा। मैं टी. आर. एन. इनर्जी का समर्थन करता हूँ।
132. मनोज शर्मा, नवापारा – मैं टी. आर. एन. इनर्जी का समर्थन करता हूँ।
133. संजय कुमार, नवापारा – मैं टी. आर. एन. इनर्जी का समर्थन करता हूँ।
134. भोला गुप्ता, नवापारा – मैं टी. आर. एन. इनर्जी का समर्थन करता हूँ।
135. धनीराम गुप्ता, नवापारा – मैं टी. आर. एन. इनर्जी का समर्थन करता हूँ।
136. गोविंद राम, नवापारा – मैं टी. आर. एन. इनर्जी का समर्थन करता हूँ।
137. मनीष पटेल, चारमार – मैं टी. आर. एन. इनर्जी का समर्थन करता हूँ।
138. अमरसाय, नवापारा – मैं टी. आर. एन. इनर्जी का समर्थन करता हूँ।
139. सरोज गुप्ता, नवापारा – मैं टी. आर. एन. इनर्जी का समर्थन करता हूँ।
140. लक्ष्मीकांत, नवापारा – मैं टी. आर. एन. इनर्जी का समर्थन करता हूँ।
141. विद्याधर भोय, नवापारा – मैं टी. आर. एन. इनर्जी का समर्थन करता हूँ।
142. आत्माराम गुप्ता, नवापारा – मैं टी. आर. एन. इनर्जी का समर्थन करता हूँ।
143. जेटूराम, माझी, गुप्ता – मैं टी. आर. एन. इनर्जी का समर्थन करता हूँ।
144. संतोष कुमार ऋषि, भेंगारी – कंपनी के आने से कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, ग्रामीणों की जो समस्या है, उसको कब हल किया जायेगा, पहले भी इस मैदान में जन सुनवाई हो चुकी है, इस मैदान की दुर्दशा हो गई है। पहले भी यहाँ उद्योग लग चुके हैं। उद्योग के लगने से पानी की आवश्यकता होगी, कंपनी पानी कहां से लायेगी, इसकी जानकारी दी जाये। कंपनी के आने से विकास के साथ-साथ विनाश भी होगा, कंपनी आये। मैं टी. आर. एन. इनर्जी का समर्थन करता हूँ।
145. वर्मालाल गुप्ता, नवापारा-टेण्डा – मैं टी. आर. एन. इनर्जी का समर्थन करता हूँ।
146. विलेश्वर गुप्ता, नवापारा-टेण्डा – मैं टी. आर. एन. इनर्जी का समर्थन करता हूँ ?
147. विराट गुप्ता, नवापारा-टेण्डा – मैं टी. आर. एन. इनर्जी का समर्थन करता हूँ।
148. फूलसिंह, नवापारा-टेण्डा – स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। मैं टी. आर. एन. इनर्जी का समर्थन करता हूँ।
149. राजेश भाई राठिया, नवापारा-टेण्डा – स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना चाहिए।
150. सविता रथ, जनचेतना, रायगढ़ – मेसर्स टी. आर. एन. इनर्जी का मैं विरोध करती हूँ क्योंकि पहले भी यहाँ पर एक जन सुनवाई हो चुका है, लेकिन लोगों को रोजगार

नहीं मिला, यहाँ लोगों के आने-जाने का रास्ता है। उद्योग के खुलने से जंगली जानवर प्रभावित होंगे, ई. आई. ए. में इसकी जानकारी नहीं दी गई है। मैं पुनः इस कंपनी का विरोध करता हूँ।

151. धनुर्वेद गुप्ता, चारमार – जो टी. आर. एन. कंपनी इस क्षेत्र में खुल रहा है, उसका मैं स्वागत करता हूँ लेकिन कंपनी के द्वारा स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाना चाहिए।
152. हेमचंद गुप्ता, भेंगारी – जो कंपनी खोखरोआमा में खुल रहा है उसका मैं समर्थन करता हूँ।
153. आशाराम, छर्राटांगर – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
154. देवकुमार, छर्राटांगर – कंपनी का समर्थन है।
155. ज्योतिराम, छर्राटांगर – मैं कंपनी को जमीन नहीं दूंगा।
156. यदुमणी पण्डा, अमलीडीह – मैं टी. आर. एन. इनर्जी का समर्थन करता हूँ।
157. दुबराज, छर्राटांगर – मैं टी. आर. एन. इनर्जी का समर्थन करता हूँ।
158. श्याम लाल, अमलीडीह – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
159. गणेश राम, अमलीडीह – मैं टी. आर. एन. इनर्जी का समर्थन करता हूँ।
160. मोहितराम, अमलीडीह – मैं टी. आर. एन. इनर्जी का समर्थन करता हूँ।
161. राधेश्याम, अमलीडीह – मैं टी. आर. एन. इनर्जी का समर्थन करता हूँ।
162. तुलसीराम, अमलीडीह – मैं टी. आर. एन. इनर्जी का समर्थन करता हूँ।
163. तेजराम, अमलीडीह – मैं टी. आर. एन. इनर्जी का समर्थन करता हूँ।
164. देवसिंह, अमलीडीह – मैं टी. आर. एन. इनर्जी का समर्थन करता हूँ।
165. कौशल, भेंगारी – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
166. भुवनेश्वर, भेंगारी – मैं टी. आर. एन. इनर्जी का समर्थन करता हूँ।
167. राजेश गुप्ता, भेंगारी – मैं टी. आर. एन. इनर्जी का समर्थन करता हूँ।
168. हेतमरा, भेंगारी – मैं टी. आर. एन. इनर्जी का समर्थन करता हूँ।
169. अजयराम, भेंगारी – मैं टी. आर. एन. इनर्जी का समर्थन करता हूँ।
170. सुनील यादव, रायगढ़ – मैं टी. आर. एन. इनर्जी का समर्थन करता हूँ।
171. जगतपाल, रायगढ़ – मैं टी. आर. एन. इनर्जी का समर्थन करता हूँ।
172. संतोष, छर्राटांगर – मैं टी. आर. एन. इनर्जी का समर्थन करता हूँ।
173. संतोष, रायगढ़ – मैं टी. आर. एन. इनर्जी का समर्थन करता हूँ।
174. ओमप्रकाश, रायगढ़ – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
175. सत्यनाम, अमलीडीह – मैं टी. आर. एन. इनर्जी का समर्थन करता हूँ।
176. संतोष नवापारा – मैं टी. आर. एन. इनर्जी का समर्थन करता हूँ।
177. दौलतराम, अमलीडीह – मैं टी. आर. एन. इनर्जी का समर्थन करता हूँ।
178. हेमचंद, अमलीडीह – मैं टी. आर. एन. इनर्जी का समर्थन करता हूँ।
179. लखनलाल, कटंगडीह – मैं कंपनी का समर्थन देता हूँ।
180. तिलकराम, कटंगपाली – मैं टी. आर. एन. इनर्जी का समर्थन करता हूँ।
181. भागवत, कटंगडीह – मैं टी. आर. एन. इनर्जी का समर्थन करता हूँ।
182. मलिकराम, कटंगडीह – मैं टी. आर. एन. इनर्जी का समर्थन करता हूँ।
183. नकुल, कटंगडीह – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
184. श्याम लाल, कटंगडीह – मैं टी. आर. एन. इनर्जी का समर्थन करता हूँ।
185. विद्याधर, कटंगडीह – मैं टी. आर. एन. इनर्जी का समर्थन करता हूँ।
186. पेटलूराम, खोखरोआमा – मैं टी. आर. एन. इनर्जी का समर्थन करता हूँ।
187. जगदीश, नवापारा – मैं टी. आर. एन. इनर्जी का समर्थन करता हूँ।

188. मनबहल, नवापारा – मैं टी. आर. एन. इनर्जी का समर्थन करता हूँ।
189. अशोक, नवापारा – मैं टी. आर. एन. इनर्जी का समर्थन करता हूँ।
190. वीरसिंह, नवापारा – मैं टी. आर. एन. इनर्जी का समर्थन करता हूँ।
191. अमृत कुमार, नवापारा – मैं कंपनी को समर्थन करता हूँ।
192. सहदेव, तिलाईपाली – मैं टी. आर. एन. इनर्जी का समर्थन करता हूँ।
193. श्रीराम, तिलाईपाली – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
194. प्रेमलाल, कटंगडीह – मैं टी. आर. एन. इनर्जी का समर्थन करता हूँ।
195. सुंदर लाल, कटंगडीह – मैं टी. आर. एन. इनर्जी का समर्थन करता हूँ।
196. पुरुत्तम गुप्ता, कटंगडीह – मैं टी. आर. एन. इनर्जी का समर्थन करता हूँ।
197. साहूराम, बासमुड़ा – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
198. चैतराम, बांसमुड़ा – मैं टी. आर. एन. इनर्जी का समर्थन करता हूँ।
199. संतोष गुप्ता, चारमार – मैं टी. आर. एन. इनर्जी का समर्थन करता हूँ।
200. मनहर गुप्ता, चारमार – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
201. राजेश त्रिपाठी, जनचेतना, रायगढ़ – आज की जो जन सुनवाई की जा रही है। वह जन सुनवाई केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की अधिसूचना 2006 के विरुद्ध है। अधिसूचना के अनुसार आवेदन के 45 दिवस के भीतर जन सुनवाई की जानी चाहिए, लेकिन आज जो जन सुनवाई हो रही है वह 45 दिन से अधिक दिन में हो रही है, इन स्थिति में केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय एक समिति का गठन करेगा और वह समिति जन सुनवाई करवायेगी, इन तथ्यों के आधार पर आज की जन सुनवाई अवैध है। अतः इस जन सुनवाई का निरस्त कर दिया जाना चाहिए। उपरोक्त क्षेत्र संविधान की अनुसूची 5 के अंतर्गत आता है, जिसके तहत प्रभावित ग्रामपंचायतों में विशेष ग्राम सभा का आयोजन कर उसमें निर्णय लिया जाना है, लेकिन इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की ग्रामसभा का आयोजन नहीं किया गया है। अनुसूची 5 के अंदर राजस्व भू सहिता का आदेश है कि इस क्षेत्र में किसी भी जमीन का डायवर्सन 10 वर्ष तक नहीं की जा सकती। अगर डायवर्सन नहीं होता है तो क्या कंपनी 10 वर्षों तक कंपनी डायवर्सन का इंतजार करेगी। यह एरिया कोल बियरिंग एरिया है, इस क्षेत्र के लिये कोल इण्डिया ने भी आपत्ति की है, फिर इस क्षेत्र में कैसे उद्योग लगाने की अनुमति दी जा सकती है। यह क्षेत्र प्रदूषण प्रभावित क्षेत्र से 10.6 किलो मीटर दूरी पर स्थित है, अतः इस क्षेत्र में और अधिक प्रदूषण बढ़ेगा, अतः इस क्षेत्र में और अधिक उद्योग लगाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। आदिवासी किसानों की जमीन को गैर आदिवासी नहीं ले सकता, कंपनी के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से आदिवासियों की जमीन को क़य किया गया है। यहाँ के पहले लगी कंपनी के द्वारा स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं दिया गया है। इनके ई. आई. ए. में स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने के बारे में जानकारी नहीं दी गई है। रायगढ़ क्षेत्र में लगे कंपनियों के द्वारा 10 प्रतिशत स्थानीय लोगों को भी रोजगार नहीं दिया गया है। मैं इस कंपनी का विरोध करता हूँ।
202. नोहरमति, नवापारा-टेण्डा – मैं कंपनी का समर्थन करती हूँ।
203. सुकान्ती बाई, नवापारा-टेण्डा – मैं कंपनी का समर्थन करती हूँ।
204. खुलासो, नवापारा – समर्थन है।
205. नानदाई, नवापारा – मैं कंपनी का समर्थन करती हूँ।
206. सुकमती, नवापारा – समर्थन है।
207. फूलबाई, नवापारा – समर्थन करती हूँ जिंदल का।
208. गुरबारी, नवापारा – मैं कंपनी का समर्थन करती हूँ।

209. रुपकुमारी, नवापरा – मैं कंपनी का समर्थन करती हूँ।
210. भगवती, नवापरा – मैं कंपनी का समर्थन करती हूँ।
211. धनकुंवर, नवापरा – मैं कंपनी का समर्थन करती हूँ।
212. सावित्री, नवापरा – मैं कंपनी का समर्थन करती हूँ।
213. कुमारी, भेंगारी – मैं कंपनी का समर्थन करती हूँ।
214. दूधकुमारी, भेंगारी – मैं कंपनी का समर्थन करती हूँ।
215. दूजमति, भेंगारी – मैं कंपनी का समर्थन करती हूँ।
216. इन्द्रमति, भेंगारी – मैं कंपनी का समर्थन करती हूँ।
217. कस्तुरी, भेंगारी – मैं कंपनी का समर्थन करती हूँ।
218. अमीराम गुप्ता, नवापरा – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
219. सहसराम चौहान, नवापरा – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
220. रजत कुमार, नवापरा – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
221. धनीराम, बांसमुड़ी – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
222. कार्तिकराम चौहान, नवापरा – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
223. कार्तिकराम, बांसमुड़ा – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
224. अकबर, छोटेगुमड़ा – कंपनी के द्वारा स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाये। मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
225. दसमेत, भेंगारी – मैं कंपनी का समर्थन करती हूँ।
226. कार्तिकराम, बांसमुड़ा – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
227. कैलाश अग्रवाल, चारमार – कंपनी स्थानीय लोगों को रोजगार दे, कंपनी गांव के विकास का कार्य करे। मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
228. शिव शर्मा, घरघोड़ा – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
229. दलदास महंत, छोटेगुमड़ा – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
230. सुंदर लाल, चारमार – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
231. आनंदराम, चारमार – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
232. महेत्तर, चारमार – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
233. विजय गुप्ता, चारमार – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
234. विजय, नवापरा – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
235. महेश्वर, चारमार – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
236. दुलेश्वर, चारमार – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
237. गोरेलाल, टेण्डा – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
238. जयप्रकाश, चारमार – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
239. गंगामति, भेंगारी – मेरे पति का पैर टूट गया है, उसकी व्यवस्था की जाये।
240. मनोज गुप्ता, भेंगारी – मैं कंपनी का विरोध करता हूँ। मैं कंपनी प्रबंधन से पूछना चाहता हूँ, कि कंपनी के द्वारा क्या आज से 30 दिन पूर्व इसके बारे में गांव में जानकारी दी है, अब तक इस क्षेत्र के ग्रामीणों को इस कंपनी के खुलने से क्या फायदा हुआ है। अतः आज का जन सुनवाई गैर कानूनी है, टी. आर. एन. के खुलने से सबसे बड़ी जल समस्या होगी, कुरकुट नदी से जल लिया जाना बताया गया है। जिससे नदी में पानी की कमी हो जायेगी, 10000 टन कोयला प्रतिदिन जलेगा, जिससे प्रदूषण होगा। कोयला लात खदान से लिया जाना बताया गया है, इस क्षेत्र के जल स्तर में गिरावट होगी, जिससे क्षेत्र में फसल और सब्जियों की खेती कम हो जायेगी, टी. आर. एन. उद्योग जहां स्थापना हो रहा है वहाँ बड़े झाड़ के जंगल है स्थानीय लोग उस जंगल से अपना जीवन यापन करते हैं। क्षेत्र के



लोगों के जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, एक तरफ अधिक से अधिक पेड़ लगाने की योजना बन रही है और एक तरफ पेड़ काटकर उद्योग लगाने की अनुमति दी जा रही है। जंगली जानवरों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। प्रशासन द्वारा विकास के नाम पर उद्योगों को जमीन दे दिया जा रहा है, उपजाऊ जमीन को उद्योग लगाने हेतु दे दिया जा रहा है। जमीन का मुआवजा 6 लाख, 8 लाख व 10 लाख कर दिया गया है, जिसको किसानों के द्वारा 50000 रुपये के भाव से पूर्व में ही बेच दिया गया है। अगर कंपनी वास्तव में क्षेत्र का विकास चाहती है, तो जिन किसानों की जमीन औने-पौने दाम में खरीद लिया है, उसे पूरा मुआवजा दिया जाये। टी. आर. एन. के लगने से इस क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण बढ़ेगा। कोयले के आवाजाही से ध्वनि प्रदूषण बढ़ेगा, जिससे स्थानीय लोगों के जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, कंपनी की स्थापना से इस क्षेत्र के स्वच्छ हवा पर प्रभाव पड़ेगा, 10000 टन कोयला प्रतिदिन जलने से विसैले गैस निकलेंगे, जिससे प्रदूषण होगा और पूरे क्षेत्र में विभिन्न बीमारियाँ फैलेंगी, खेती पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा, संयंत्र से निकलने वाली राख पुरे क्षेत्र में पहुँचेगा जो बहुत विनाशकारी घटक है, क्षेत्र में लोगों को आक्सीजन नहीं मिल पायेगा। अतः क्षेत्र के लोगों का जीना मुश्किल होगा। उन वन्य प्राणियों का घर उजाड़ा जा रहा है। अगर इसी तरह से उद्योग लगाने की अनुमति दी जाती रही तो भविष्य में विकट समस्या पैदा हो जायेगा। मोटर गाड़ियों के अधिक चलने से प्रदूषण फैलेगा। क्षेत्र के उपजाऊ जमीन प्रभावित होंगे। जब- जब रायगढ़ जिले में उद्योग की स्थापना हुई है, क्षेत्र में अपराध का ग्राफ बढ़ा है। बाहर के लोगों के यहाँ आकर काम करने से अपराध बढ़ने लगता है। अपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को लाकर यहाँ काम कराया जाता है। उद्योग के स्थापना से मोटर गाड़ियों का आगमन अधिक होगा, जिससे दुर्घटना की संभावना बढ़ेगी। अतः मैं इस उद्योग का विरोध करता हूँ। क्षेत्र में उद्योग स्थापना से लोगों को रोजी-रोटी छीन जायेगा। उद्योग के स्थापना से क्षेत्र का तापमान बढ़ेगा, उद्योग से निकलने वाले विसैली गैसों से ओजोन परत को प्रभाव पड़ेगा। ये विसैले गैसे भू-मंडल को गर्म कर देते हैं, वैश्विक तापमान बढ़ रहा है, जिससे ग्लेसियर पिघल रहा है। टी. आर. एन. से गुजारीस है कि अगर वह विद्युत उत्पादन करना ही चाहता है तो राजस्थान चले जाये, और बिजली का उत्पादन करे। मैं टी. आर.एन. कंपनी का विरोध करता हूँ।

241. ओमप्रकाश गुप्ता, भेंगारी – मैं टी. आर. एन. कंपनी का विरोध करता हूँ। कंपनी के द्वारा जो 600 मेगावॉट की स्थापना की जा रही है, आज शासन द्वारा करोड़ों रुपये खर्च कर वृक्षारोपण किया जा रहा है, लेकिन उद्योग स्थापना कर पेड़ों को काटा जा रहा है। जहाँ टी. आर. एन. कंपनी स्थापित की जा रही है, वहाँ जंगल है, उद्योग के स्थापना से पेड़ों को काटना होगा, जिससे प्रदूषण बढ़ेगा, उद्योग से निकलने वाले धुएँ से आस-पास के क्षेत्र और फसलों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, राख का निष्कासन होगा, जो मानव के स्वास्थ्य पर प्रभाव डालेगा। उद्योग की स्थापना से बाहर से मजदूर लाये जायेंगे, जिसे इस क्षेत्र में अपराध बढ़ेंगे। कंपनी की स्थापना के बात किये गये वादों को भुला दिया जाता है। उद्योग की स्थापना से क्षेत्र के सभी लोगों का जीवन प्रभावित होगा।
242. विशाखा गुप्ता, भेंगारी – उद्योग का समर्थन है।
243. दया गुप्ता, भेंगारी – कंपनी का समर्थन है।
244. उमा गुप्ता, भेंगारी – मैं कंपनी का समर्थन करती हूँ।
245. देवमती गुप्ता, भेंगारी – मैं कंपनी का समर्थन करती हूँ।
246. सावित्री गुप्ता, भेंगारी – मैं कंपनी का समर्थन करती हूँ।

247. वेदमती गुप्ता, भेंगारी – मैं कंपनी का समर्थन करती हूँ।
248. ननकी, भेंगारी – मैं कंपनी का समर्थन करती हूँ।
249. नानदाई, भेंगारी – मैं कंपनी का समर्थन करती हूँ।
250. धनिरो, नावापारा – मैं कंपनी का समर्थन करती हूँ।
251. ललित गुप्ता, भेंगारी – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
252. सुरेश निषाद, चारमार – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
253. प्रेमसिंग, खोखरोआमा – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
254. रामरतन, खोखरोआमा – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
255. जयप्रकाश, चारमार – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
256. संतोष राठिया, सरपंच, बगचबा – मैं टी. आर. एन. कंपनी का समर्थन करता हूँ।
257. दिलेश्वर राठिया, सरपंच, डेहरीडीह – मैं टी. आर. एन. कंपनी का समर्थन करता हूँ।
258. सुरेश कुमार चौहान, डेहरीडीह – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
259. जगलाल, बगचबा – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
260. दिनेश पटेल, डेहरीडीह – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
261. सुरेश यादव, डेहरीडीह – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
262. उमेश, डेहरीडीह – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
263. विकास, डेहरीडीह – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
264. विवेक यादव, डेहरीडीह – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
265. पुजारी यादव, डेहरीडीह – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
266. संजीव सोनी, डेहरीडीह – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
267. शंकर यादव, डेहरीडीह – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
268. सुनील दुबे, डेहरीडीह – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
269. ऋषि कुमार यादव, डेहरीडीह – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
270. रितेश रणा, डेहरीडीह – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
271. सनिरो, नवापारा – मेरी जमीन गौटिया ने ले लिया है।
272. महेश राम, खोखरोआमा – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
273. रवि यादव, खोखरोआमा – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
274. अंकित पाण्डेय, रायगढ़ – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
275. लाला यादव, रायगढ़ – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
276. सोनू यादव, रायगढ़ – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
277. सूरज यादव, रायगढ़ – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
278. अलेख यादव, रायगढ़ – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
279. विमल यादव, चारमार – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
280. विनोद कुमार, चारमार – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
281. नारायण गोयल, रायगढ़ – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
282. संतोष सिंह, रायगढ़ – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
283. अजय गुप्ता, चारमार – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
284. जागृत राम, सरपंच टेण्डा – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
285. प्रतापसिंह राठिया, टेण्डा – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
286. लेखराम राठिया, नवापारा – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
287. मिट्ठूलाल गुप्ता, चारमार – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
288. शिव, रायगढ़ – कंपनी गांव वालों का ध्यान रखे और अच्छे से कंपनी खोले।

289. सुंदर विश्वकर्मा, रायगढ़ – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
290. विद्यासिंह ठाकुर, रायगढ़ – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
291. दिपक चौधरी, रायगढ़ – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
292. बबलू पाण्डेय, रायगढ़ – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
293. सुनील शर्मा, रायगढ़ – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
294. हरिदास महंत, रायगढ़ – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
295. रमेश देवांगन, रायगढ़ – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
296. राजू पटेल, रायगढ़ – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
297. खूबदास, रायगढ़ – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
298. दाऊराम, रायगढ़ – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
299. दिलीप यादव, रायगढ़ – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
300. डमरुधर, रायगढ़ – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
301. राहुल, रायगढ़ – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
302. रामकुमार, नवागढ़ – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
303. ननकीराम, नवागढ़ – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
304. पंचम सिंह राठिया, कटंगडीह – हम कंपनी को आमंत्रित करते हैं, लेकिन कंपनी भी हमारा ध्यान रखे, सभी जगह तो ऐसा ही चल रहा है, आप भी हमारा जमीन के उचित मुआवजा दें।
305. यदुमणी गुप्ता, टेण्डा-नवापारा – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
306. बंशीधर गुप्ता, टेण्डा-नवापारा – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
307. समारु, भेंगारी – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
308. चिंतामणी, भेंगारी – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
309. तिजराम गुप्ता, भेंगारी – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
310. रेशम लाल, भेंगारी – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
311. शत्रुघन, भेंगारी – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
312. रेखराम, भेंगारी – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
313. सुखसिंह राठिया, भेंगारी – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
314. कुरसोराम गुप्ता, भेंगारी – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
315. डॉ. सिंह पटेल, भेंगारी – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
316. ठाकुर लाल पटेल, भेंगारी – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
317. सुखराम राठिया – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
318. नवीन कुमार राठिया, सरपंच, नवापारा-टेण्डा – मैं मांग करता हूँ कि हमें स्वास्थ्य सुविधा दे, हमारा समर्थन है।
319. हकीम पटेल, भेंगारी – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
320. बन्नूलाल राठिया, भेंगारी – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
321. मोहन जोशी, घरघोड़ा – कंपनी के लगने से हमें बहुत सुविधा होगी।
322. प्रहलाद जोशी, घरघोड़ा – कंपनी के लगने से हमें काम मिलेगा और भी सुविधाएं मिलेगी। मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
323. सुभम बंसल, घरघोड़ा – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
324. चन्द्रशेख चौहान, घरघोड़ा – कंपनी के लगने से क्षेत्र का विकास होगा, मजदूरों को शोषण होता है, वह नहीं होना चाहिए।
325. भरत साहू, घरघोड़ा – उद्योग के स्थापना से युवाओं को रोजगार मिलेगा, और क्षेत्र का विकास मिलेगा।

326. हीलाल अहमत, घरघोड़ा – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
327. ब्रजमोहन, घरघोड़ा – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
328. मोहम्मद साहिद, घरघोड़ा – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
329. दुर्गा प्रसाद साहू, घरघोड़ा – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
330. नीरज सिदार, घरघोड़ा – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
331. चन्द्रशेखर चौहान, घरघोड़ा – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
332. रमेश अग्रवाल, जन चेतना, रायगढ़ – मेरा पहला आपत्ति यह है कि पीठासीन अधिकारी के रहते किसी अन्य अधिकारी को मंच संचालन का अधिकार नहीं होता है। नोटिफिकेशन के अनुसार यह जन सुनवाई अवैध है। 14.06.2010 को हमने इस जन सुनवाई और अन्य जन सुनवाईयों के संबंध में पर्यावरण कार्यालय में सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी थी। लेकिन परसों 12.07.2010 तक हमको कोई जानकारी नहीं दी गई, और परसों शाम 7-8 बजे हमें कुछ जानकारी दी गई। जन सुनवाई की कार्यवाही 45 दिनों के अंदर हो जानी चाहिए कंपनी के द्वारा आवेदन 12.10.2009 को किया गया था, लेकिन आज कई महिनों के बाद जन सुनवाई कराया जा रहा है। अगर नियत तिथि तक पर्यावरण बोर्ड के द्वारा जन सुनवाई नहीं करायी जा सकती तो केन्द्रीय पर्यावरण मंडल के द्वारा एक समिति कराकर जन सुनवाई का आयोजन करायेगा। अतः यह जन सुनवाई अवैध है। पर्यावरण संरक्षण मंडल, के वेबसाइट में ई. आई. ए. और कार्यपालिका सार की जानकारी नहीं दी गई है, बोर्ड की वेबसाइट कई महिनो से खराब है, जिसका सुधार नहीं कराया जा रहा है। अधिसूचना के सेड्यूल 4 के सभी बिन्दुओं का उल्लंघन हुआ है। कंपनी को यह शर्त दी जाती है कि टी. ओ. आर. की शर्त को सामिल कर ई. आई. ए. बनाया जाना चाहिए। टी. ओ. आर. की शर्त के आधार पर ई. आई. ए. बनाया गया है कि नहीं इसकी जांच पर्यावरण संरक्षण मंडल के द्वारा किया जाना चाहिए, नोटशीट में लिखा गया है कि टी. ओ. आर. का पालन किया गया है लेकिन यह झूठ है, ई. आई. ए. में टी. ओ. आर. का पालन नहीं किया गया है। यह ड्राफ्ट ई. आई. ए. अधुरा है, फिर भी जन सुनवाई करवाई जा रही है। इनके द्वारा जमीन के बारे में सही जानकारी नहीं दी गई है। इनके द्वारा कोआर्डिनेट दिये गये हैं, उसके आधार पर टी. आर. एन. 1 और टी. आर. एन. 2 साईट बताया गया है। 600 एकड़ जमीन 5 किलो मीटर एरिया में कैसे हो सकता है। एस. ई. सी. एल. के द्वारा जो कोल लिंकेज इनको दिया गया है, जिसमें बिलासपुर के बालपुरी में जो प्लांट लगने वाला है उसके लिये दिया गया है। क्या यह प्लांट बिलासपुर में लगने वाला था, जिसके लिये एस. ई. सी. एल. ने कोल लिंकेज दिया गया है। कोयले का एनालिसिस रिपोर्ट इनके द्वारा दिया जाना था, हैवी मेटल्स का इनके द्वारा एनालिसिस नहीं किया गया है। राखड़ की समस्या आज पूरे देश के सामने है। सरकार के द्वारा एक नोटिफिकेशन किया गया है कि आप अपने राखड़ का उपयोग कैसे करेंगे, इनके द्वारा राखड़ के उपयोग के संबंध में संतुष्टिपूर्ण जानकारी नहीं दी गई है। जन सुनवाई की तिथि और स्थल का निर्धारण सदस्य सचिव के द्वारा किया जाना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ कलेक्टर महोदय के द्वारा किया जाता है, कलेक्टर महोदय के द्वारा केवल तिथि का निर्धारण किया गया है, लेकिन स्थल का निर्धारण किसके द्वारा किया गया है यह जांच का विषय है। इनके द्वारा 548 हेक्टेयर बताई गई है। जिसमें से अधिकांश भूमि बंजर जमीन बताया गया है, यहाँ के किसानों से पूछा जाना चाहिए कि उनकी जमीन उपजाऊ है या बंजर। मेरी आपत्ति है कि मुझे बोलने का अवसर नहीं दिया गया है।

333. कमला गुप्ता, भेंगारी – मैं कंपनी का समर्थन करती हूँ।
334. रुकमणी, भेंगारी – मैं कंपनी का समर्थन करती हूँ।
335. गोसाईराम, नवापारा – मैं सुनील इस्पात में काम कर रहा था।
336. सुरेश कुमार, भेंगारी – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
337. होरी लाल राठिया, नवापारा – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
338. उदय कुमार, भेंगारी – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
339. अशोक कुमार, भेंगारी – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
340. घुर्ऊ प्रसाद, भेंगारी – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
341. बुधुराम, भेंगारी – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
342. महेत्तर पटेल, भेंगारी – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
343. महेन्द्र कुमार, भेंगारी – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
344. अमित कुमार, भेंगारी – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
345. भरत खंडेल, घरघोड़ा – मैं टी. आर. एन. कंपनी का विरोध करता हूँ कंपनी के द्वारा ग्रामीणों का शोषण किया जाता है। इसलिये मैं कंपनी का विरोध करता हूँ।
346. संतोष कुमार, घरघोड़ा – मैं टी. आर. एन. कंपनी का विरोध करता हूँ कंपनी के द्वारा ग्रामीणों का शोषण किया जाता है।
347. अमित खूंटे, छोटेगुमड़ा – मैं टी. आर. एन. कंपनी का विरोध करता हूँ कंपनी के द्वारा ग्रामीणों का शोषण किया जाता है। कंपनी के लगने से प्रदूषण होता है।
348. राजेश निषाद, बड़ेगुमड़ा – मैं टी. आर. एन. कंपनी का विरोध करता हूँ।
349. दशरथ, भेंगारी – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
350. सुरेन्द्र, बड़ेगुमड़ा – मैं टी. आर. एन. कंपनी का विरोध करता हूँ। कंपनी के द्वारा लोगों को शोषण किया जाता है। कंपनी के द्वारा बाहर के लोगों को लाकर रोजगार दिया जाता है। स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं दिया जाता है।
351. मनोज चौहान, रायगढ़ – मैं टी. आर. एन. कंपनी का विरोध करता हूँ। क्योंकि प्रदूषण होता है, प्रदूषण के कारण बारिस नहीं होता है बारिस नहीं होगा तो फसल कहीं से उगाओगे।
352. जीवन लाल राठिया, पंडरीपानी – मैं टी. आर. एन. कंपनी का विरोध करता हूँ। क्योंकि कंपनी के द्वारा जमीन ले लिया जाता है लेकिन रोजगार नहीं दिया जाता है।
353. हरिदास महंत, चुहकीमार – मैं टी. आर. एन. कंपनी का विरोध करता हूँ।
354. अमृत दास, चुहकीमार – मैं टी. आर. एन. कंपनी का विरोध करता हूँ।
355. त्रिलोचन प्रसाद, चुहकीमार – मैं टी. आर. एन. कंपनी का विरोध करता हूँ।
356. राजकुमार, चुहकीमार – मैं टी. आर. एन. कंपनी का विरोध करता हूँ।
357. लाभोराम, चुहकीमार – मैं टी. आर. एन. कंपनी का विरोध करता हूँ।
358. भुवनेश्वर यादव, पंडरीपानी – मैं टी. आर. एन. कंपनी का विरोध करता हूँ।
359. रामनाथ राठिया, चुहकीमार – मैं टी. आर. एन. कंपनी का विरोध करता हूँ।
360. प्रहलाल कुमार राठिया, कारीपाली – मैं टी. आर. एन. कंपनी का विरोध करता हूँ।
361. रामप्रसाद, पंडरीपानी – मैं टी. आर. एन. कंपनी का विरोध करता हूँ।
362. दुखनंदन, पंडरीपानी – मैं टी. आर. एन. कंपनी का विरोध करता हूँ।
363. डोलशंकर, पंडरीपानी – मैं टी. आर. एन. कंपनी का विरोध करता हूँ।
364. छबिलाल चौहान, पंडरीपानी – मैं टी. आर. एन. कंपनी का विरोध करता हूँ।
365. सत्यनारायण, बरपाली – मैं टी. आर. एन. कंपनी का विरोध करता हूँ।
366. आरतीनंदन, पंडरीपानी – मैं टी. आर. एन. कंपनी का विरोध करता हूँ।
367. रवि गुप्ता, घरघोड़ा – मैं टी. आर. एन. कंपनी का विरोध करता हूँ।

368. जय प्रकाश, घरघोड़ा – कंपनी के खुलने से पर्यावरण का नुकसान होगा अतः मैं टी. आर. एन. कंपनी का विरोध करता हूँ ।
369. दुजराम, नवापारा – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ ।
370. राहतदास महंत, चुहकीमार – मैं टी. आर. एन. कंपनी का विरोध करता हूँ ।
371. विष्णु, नवापारा – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ ।
372. नकुल प्रसाद, पंडरीपानी – मैं टी. आर. एन. कंपनी का विरोध करता हूँ ।
373. सुखसाय राठिया, पंडरीपानी – मैं टी. आर. एन. कंपनी का विरोध करता हूँ ।
374. चतुर कुमार, पंडरीपानी – मैं टी. आर. एन. कंपनी का विरोध करता हूँ ।
375. देवचरण बंशी, घरघोड़ा – मैं टी. आर. एन. कंपनी का विरोध करता हूँ ।
376. श्याम चरण, घरघोड़ा – मैं टी. आर. एन. कंपनी का विरोध करता हूँ ।
377. पवन कुमार, घरघोड़ा – कंपनी के द्वारा प्रदूषण फैलाया जाता है, जिससे हमें नुकसान होता है। हमारे क्षेत्र के आदमियों को बहुत तकलीफ होता है। अतः हमारे क्षेत्र में किसी भी प्रकार से इस प्रकार के कंपनी को अनुमति नहीं दी जाये।
378. संजय होता, घरघोड़ा – मैं टी. आर. एन. कंपनी का विरोध करता हूँ। लोगों के द्वारा अपनी जमीन को बेच दिया है। जिसको हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों से बचाकर रखा था। मैं टी. आर. एन. कंपनी का विरोध करता हूँ।
379. यादराम पटेल, घरघोड़ा – मैं टी. आर. एन. कंपनी का विरोध करता हूँ । क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बहुत बढ़ गया है, पर्यावरण प्रदूषण होगा, प्रदूषण रोकने के उपाय नहीं किया जाता है।
380. राजीव आर्य, चारमार – आज यहाँ पर टी. आर. एन. इनर्जी के द्वारा 600 मेगावॉट पॉवर प्लांट स्थापित करने के लिये जन सुनवाई आयोजित किया गया है। आज छ. ग. सरकार ने हमारे छ.ग. को पावर हब बनाने का सपना देखा है। भारत सरकार का सपना है की सभी छोटे-छोटे गांव में बिजली पहुँचे। यह कंपनी विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में बहुत सही है, ऐसे उद्योगों के आने से वह सपना पूरा होगा, हमारे क्षेत्र में ऐसे उद्योगों के आने से हमारे क्षेत्र की गरीबी दूर होगी, हमारे क्षेत्र का विकास होगा, हमारे छोटे-छोटे गांव से लोग इंजीनियरिंग और आईटीआई कर रहे हैं, अगर यह उद्योग नहीं आयेगे तो उन्हें कहीं नौकरी मिलेगी, उद्योगों के लगने से उनको रोजगार मिलेगा। गांव के लोग जो रोजगार के लिये शहरों की ओर पलायन करते हैं। उद्योग के लगने से यह समस्या दूर होगी। आज कई प्रदेशों में बिजली की समस्या है, क्योंकि वहाँ बिजली पर्याप्त मात्रा में नहीं है, इस तरह के उद्योगों के लगने से हमारे प्रदेश में बिजली की कमी नहीं रहेगी। ये उद्योगपति उद्योग के विकास के साथ-साथ क्षेत्र के विकास में भी सहायता करता है। मैं इस उद्योग का समर्थन करता हूँ।
381. नीरज शर्मा, घरघोड़ा – मैं टी. आर. एन. कंपनी का समर्थन करता हूँ ।
382. बंशी लाल गुप्ता, घरघोड़ा – मैं टी. आर. एन. कंपनी का समर्थन करता हूँ ।
383. राजेन्द्र शर्मा, घरघोड़ा – मैं टी. आर. एन. कंपनी का समर्थन करता हूँ । यहाँ आज 90 प्रतिशत लोगों ने समर्थन किया है। इस क्षेत्र के लोगों को रोजगार, उचित मुआवजा मिले।
384. रज्जूसिंह, टेण्डा-नवापारा – कंपनी के द्वारा मेरा 8 एकड़ 62 डिसमील जमीन दिया हूँ अभी तक मुआवजा नहीं मिला है।
385. राजेन्द्र प्रसाद, भेंगारी – मैं टी. आर. एन. कंपनी का समर्थन करता हूँ ।
386. बबलू गुप्ता, चारमार – मैं टी. आर. एन. कंपनी का समर्थन करता हूँ । कंपनी के आने से हमारे गांव के बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, लोगों को प्रवास रुकेगा।

387. सहनूराम पैकरा, घरघोड़ा — — मैं टी. आर. एन. कंपनी का समर्थन करता हूँ ।  
388. लक्ष्मी प्रसाद महंत, चारमार — — मैं टी. आर. एन. कंपनी का समर्थन करता हूँ ।  
इस क्षेत्र में उद्योग का आगमन हुआ है तो सभी लोगों के आमदनी में वृद्धि होगी, कंपनी भी यहाँ के जन आकांक्षाओं को नजरअंदाज नहीं करेंगे और पर्यावरण के प्रति ध्यान रखे। आम जनता धूल धुंआ प्रदूषण से बीमार नहीं पड़े।

लोक सुनवाई का कार्यवाही विवरण क्षेत्रीय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिलादण्डाधिकारी द्वारा पढ़कर सुनाया गया।

लोक सुनवाई के दौरान जनता द्वारा उठाये गये मुद्दों के संबंध में उद्योग प्रतिनिधि श्री सुखदेव तुकाराम सेल्के ने परियोजना से होने वाले होने वाले प्रदूषण के नियंत्रण हेतु लगाये जाने वाले आधुनिक उपकरणों, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जल आपूर्ति, सामुदायिक विकास तथा लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये समस्त बिंदुओं पर बिन्दुवार अपना पक्ष रखा।

सुनवाई के दौरान कई लोगों द्वारा लिखित अभ्यावेदन भी प्रस्तुत किया गया। संपूर्ण लोक सुनवाई की वीडियोग्राफी की गई।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा सायं बजे उपस्थित लोगों के सुझाव, आपत्ति, टीका-टिप्पणी पर कंपनी प्रतिनिधि की ओर से जवाब आने के पश्चात् लोक सुनवाई के समाप्ति की घोषणा की गई।

(ए. सी मालू)  
क्षेत्रीय अधिकारी  
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायगढ़

(एस. के. शर्मा)  
अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी  
जिला-रायगढ़ (छ.ग.)